झारखण्ड सरकार,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक–7/पर्या0प्रदू0–05/2016– 3200 /व0प0, राँची, दिनांक– 20.8.19

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा–3 की उपधारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–का0आ0–1533(अ) दिनांक–14.09.2006 के अनुसरण में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या– का0आ0– 141 (अ) दिनांक–15.01.2016 एवं अधिसूचना संख्या–का0आ0–190 (अ), दिनांक–20.01.2016 के द्वारा देश के सभी जिलों में लघु खनिजों से संबंधित प्रवर्ग "ख–2" खनन् परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करने हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA) तथा उक्त प्राधिकरण को सहायता प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति (DEAC) गठित करने का निर्णय लिया गया, तद्नुसार झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA) तथा जिला स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति (DEAC) गठित की गई।

भारत सरकार की उक्त अधिसूचना में 05 हे0 (12.35 एकड़) से कम या उसके बराबर लघु खनिज से संबंधित परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति DEIAA/DEAC द्वारा निर्गत किए जाने का प्रावधान किया गया।

2. माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या–O.A No-173 of 2018 एवं O.A. No-186 of 2016 में क्रमशः दिनांक–04.09.2018 तथा 13.09.2018 को पारित आदेश और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Office Memorandum-F.No.-L-11011/175/2018-IA-II(M) दिनांक–12.12.2018 का प्रभाव यह है कि 0 से 5 हे0 तक के क्षेत्रफल की "ख 2" श्रेणी (बालू को छोड़कर) की लघु खनिज परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति अब DEIAA/DEAC द्वारा नहीं बल्कि SEIAA/SEAC द्वारा दी जानी है।

3. अतएव, झारखण्ड राज्य अन्तर्गत लघु खनिजों से संबंधित प्रवर्ग "ख–2" (बालू को छोड़कर) खनन् परियोजनाओं हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA), झारखण्ड द्वारा निर्गत किये जाने वाले पर्यावरण स्वीकृति हेतु निम्नवत् प्रावधान किये जाते हैं :–

(i) उपर्युक्त कंडिका–2 के आलोक में अब 0 से 05 हे0 तक के क्षेत्रफल की "ख–2" श्रेणी (बालू को छोड़कर) की लघु खनिज परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति SEIAA/SEAC द्वारा दी जाएगी।

(ii) 0 से 05 हे0 तक के क्षेत्रफल की "ख–2" श्रेणी (बालू को छोड़कर) की लघु खनिज परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु SEIAA/SEAC के लिए परीक्षण शुल्क निम्न रूप से निर्धारित किया जाता है :–

| क्र0सं0 | रकबा | निर्धारित दर (रूपये में) |
|---|---|---|
| 1. | 1.00 एकड़ तक | 5,000/– |
| 2. | 1.00 एकड़ से 2.5 एकड़ | 10,000/– |
| 3. | 2.5 एकड़ से 5.00 एकड़ | 25,000/– |
| 4. | 5.00 एकड़ से अधिक (परन्तु 12.35 एकड़ से अधिक नही) | 50,000/– |

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1382 दिनांक–03.04.2018 इस हद तक संशोधित समझी जाएगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(ए0 के0 रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–3/पर्या0 प्रदू0–05/2016– 3200 व0प0, राँची दिनांक– 20.8.2019

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि मुद्रित अंक की 100 प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–3/पर्या0 प्रदू0–05/2016– 3200 व0प0, राँची दिनांक– 20.8.19

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड/सचिव, पर्यावरण, वन एवं परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इण्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली–110003/मुख्य सचिव, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/परिवहन विभाग/कृषि, पशुपालन एवं सहकारित विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/पेयजल एवं स्वचछता विभाग/उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण/उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/गृह, कारा एव आपदा प्रबंधन विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची/सदस्य सचिव, SEIAA/SEAC, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

20/8
सरकार के विशेष सचिव